

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50

FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN



शपथपत्र

मैं बली मोहम्मद पुत्र पीरू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम जेसुराणा जिला जैसलमेर का निवासी हू। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हू कि :-

मेरी संस्था का नाम पीरूखा गौशाला विकास संस्थान पीरू खां की ढाणी जेसुराणा हमीरा एवं पजीयन संख्या 1876 पंजीयन दिनांक 12.6.2019 यह है।

मेरे पशुशिविर संचालन का स्थान .....

क्र.सं.	गाव का नाम	पचायत	तहसील	जिला	एसएमएफ के द्वारा छोड़े गये पशु		
					छोटे	बड़े	कुल
1	भोजासर	हमीरा भोजासर	जैसलमेर	जैसलमेर	10	190	200
2	पीरू खा की ढाणी जेसुराणा	हमीरा जेसुराणा	जैसलमेर	जैसलमेर	07	193	200
3	करतुर सिंह का पाडा भोजासर उत्तरी	हमीरा	जैसलमेर	जैसलमेर	12	188	200

3 मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से मेरे पशुशिविर का आकस्मिक निरीक्षण वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।

मेरी संस्था परिचित हू कि आकस्मिक निरीक्षण /वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी /अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

मैं पशुशिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों को पूर्णतः पालन करूंगा।  
जिनके द्वारा समय समय पर दी गई जायेंगी पूर्णतः पालन करूंगा।

मैं बली मोहम्मद पुत्र पीरू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम जेसुराणा जिला जैसलमेर बयान करता हू कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया हुआ विवरण सत्य है।

SIGNATUTY/ATTESTED

(I.C.R. Choudhary)  
Notary, Jaisalmer

30/5/2020

शपथग्रहिता

पीरूखॉन गौशाला विकास संस्थान  
पीरू खॉन की ढाणी, जेसुराणा हमीरा

शपथग्रहिता

अध्यक्ष  
पीरूखॉन गौशाला विकास संस्थान  
पीरू खॉन की ढाणी, जेसुराणा हमीरा

पंजीयन क्रमांक 1876/2019

दिनांक 12.06.2019

द्विसंकेत 70

दिनांक 12.06.2019

राजस्थान सरकार

प्रपत्र ( फार्म ) संख्या-7

# निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक ( रजिस्ट्रार ), गौशालाएँ राजस्थान, जयपुर



## गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत ( देखिये नियम-6 )

श्री पीरु खान गौशाला विकास संस्थान  
 ग्राम पीरु खान की राणी पोस्ट हपीरा  
 तहसील जैसुराणा जिला जैसलमेर के मध्य में।

चूंकि श्री बली मोहम्मद (अध्यापक) व्यापी (ट्रस्टी)  
 गौशाला श्री पीरु खान गौशाला विकास संस्थान राजस्थान

गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला के पंजीयन ( रजिस्ट्रेशन ) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद में संतुष्ट हो गया है। आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत ( रजिस्ट्रार ) करली गई है।

आज दिनांक 12.06.2019 माह जून वर्ष दो हफ्ता इन्तिहास



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशालय  
 ( गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी  
 निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान - सरकार  
कार्यालय रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जैसलमेर

क्रमांक : 419



दिनांक : 20/5/19

संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "पीरू खॉन कोटवाल विकास संस्थान, जैसुराणा" का पंजीयन इस कार्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक 67/जैसल/ 2009-10 पंजीयन दिनांक 08.10.2009 को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के तहत किया गया है।

इस कार्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक 305 दिनांक 02.04.2019 को इस संस्था का नाम परिवर्तन कर "पीरू खॉन विकास संस्थान, पीरू खॉन की ढाणी" कर दिया गया था।

अतः पुनः आज दिनांक 20-5-19 को इस संस्था का नाम परिवर्तन कर के "पीरू खॉन गौशाला विकास संस्थान, पीरू खॉन की ढाणी जैसुराणा, हमीरा" कर दिया गया है।

यह संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र आज दिनांक 20 माह 5 सन् दो हजार 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(सुजीनाराम)  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जैसलमेर